भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *208

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित परियोजनाओं के कारण वन्यजीव पर्यावासों को क्षति

*208. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा आरम्भ की गई नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव पर्यावासों को क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन से बाघ अभयारण्य प्रभावित हुए हैं और प्रत्येक अभयारण्य में पर्यावास को कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में क्या आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर विचार किया गया है/उपाय कार्यान्वित करने की योजना है कि भविष्य में नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित परियोजनाएं इस तरह से बनाई जाएं कि उनसे बाघ अभयारण्यों सहित वन्यजीव पर्यावासों को क्षति न हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित मौजूदा परियोजनाओं के जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और पहले से प्रभावित हो चुके पर्यावासों को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार वन्यजीवों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पारिस्थितिकी-संवेदनशील डिजाइन और दृष्टिकोण अपनाने के लिए अन्य विभागों या संगठनों के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित परियोजनाओं के कारण वन्यजीव पर्यावासों को क्षति' के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *208 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में देश के अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी। एनपीपी के तहत नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) की 30 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। एनपीपी के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) प्रथम आईएलआर परियोजना है, जिसका इस समय कार्यान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) और उसके आसपास के कुल ऐसे बाघ आवास क्षेत्र जो जलमग्न क्षेत्र में होंगे और केन बेतवा लिंक परियोजना में लॉजिस्टिक उपयोग के लिए उपलब्ध लगभग 6017 हेक्टेयर क्षेत्र (क्रमशः 5761 हेक्टेयर और 256 हेक्टेयर) होगा।

(ग) से (ङ): प्रत्येक आईएलआर परियोजना के लिए, व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते हुए एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किया जाता है। इस ईआईए अध्ययन का उद्देश्य उस परियोजना का भौतिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को चिन्हित करना है। डीपीआर रिपोर्टों और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करते हुए मूल्यांकित पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय और वन्यजीवन प्रभावों को कम करने के लिए मिट्टी के प्रकार, जलवायु प्रकार, भूजल गुणवत्ता, जैविक पर्यावरण, वनस्पति विविधता, वन और वन्यजीवन, भूजल पुनर्भरण, नदी की हाइड्रोलॉजिकल व्यवस्था में परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू, सृजित रोजगार क्षमता, परियोजना प्रभावित परिवार, जलमग्न क्षेत्र इत्यादि और अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं पर विस्तृत अध्ययन किए जाते हैं।

जहां तक केन-बेतवा लिंक परियोजना का संबंध है, जो कार्यान्वयन के तहत प्रथम आईएलआर परियोजना है, इस परियोजना के लिए पर्यावरण और वन्यजीव स्वीकृति देते समय किए गए विस्तृत ईआईए अध्ययनों और डीपीआर में प्रस्तावित उपशमन उपायों की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा गहन जांच और विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा, एनबीडब्ल्यूएल के निर्देशों के अनुसार, जून 2022 में भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), पीटीआर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के वन विभागों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की देखरेख में एक एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) तैयार की गई थी। इस आईएलएमपी का उद्देश्य बेहतर आवास उपलब्ध कराना, अन्य सुरक्षित क्षेत्रों (पीए) से जुड़ने वाले वन्यजीव कॉरीडोर को बरकरार

रखना, प्रमुख प्रजातियों (बाघ, गिद्ध और घड़ियाल) की समग्र रूप से सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करना और केवल पीटीआर क्षेत्र ही नहीं बल्कि दोनों राज्यों में आसपास के अन्य संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों को कवर करते हुए जैव विविधता संरक्षण करना है। इस आईएलएमपी को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने के लिए फरवरी 2023 में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का गठन किया गया था। अब तक इस जीपीएलसी की एक बैठक और इसके तहत गठित एक उप-समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं।

(च): जैसा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, संरक्षण और विकास के बीच सामंजस्य बैठाने की चुनौतियों से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "वन्यजीवों पर लिनियर अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उपाय" शीर्षक से एक वैज्ञानिक मार्गदर्शन दस्तावेज़ प्रकाशित किया गया है। उक्त दस्तावेज़ की एक प्रति https://ntca.gov.in/documents/#reports2 (लिनियर अवसंरचना के लिए मिटिगेशन मैनुअल) पर उपलब्ध है।

*****